NEXTIRS

दैनिक समसामियकी विश्लेषण

समय: ४५ मिनट

दिनाँक: 29-10-2024

विषय सूची

भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण भारत की जनगणना 2025 में शुरू होगी भारत में चुनाव व्यय

मध्यस्थता कानून और सुलह अधिनियम में संशोधन के लिए प्रारूप विधेयक

ब्रिटेन में चरणबद्ध तरीके से बंद हो रहे कोयला बिजली संयंत्र

संक्षिप्त समाचार

सोहराई पेंटिंग

सांभर झील

ट्राइटन द्वीप

न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी एवं निजता का अधिकार

विधि का शासन सूचकांक

प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (LPAI)

ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन: WMO

कोरल ट्राएंगल (Coral Triangle)

मियावाकी वन (Miyawaki Forest)

भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण

सन्दर्भ

 भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और भूमि स्वामित्व के प्रबंधन के आधुनिकीकरण के साथ ग्रामीण भारत एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है।

परिचय

 2016 से ग्रामीण भारत में 95% भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित और सुलभ भूमि स्वामित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है।

भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की आवश्यकता

- इसने विवादों, धोखाधड़ी और अकुशल मैनुअल प्रक्रियाओं जैसी पारंपिरक चुनौतियों का समाधान करके भूमि प्रबंधन को परिवर्तित कर दिया है।
- स्वामित्व संबंधी जानकारी ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है और अवैध अतिक्रमण कम होते हैं।
- यह विवाद समाधान को सरल बनाता है, न्यायालयी भार को कम करता है और भूमि अधिकारों तक पहुँच में सुधार करके हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाता है।
- भू-स्थानिक मानचित्रण के साथ एकीकरण भूमि प्रबंधन को बढ़ाता है, जिससे सटीक सर्वेक्षण और योजना बनाना संभव होता है।
- भूमि अधिग्रहण या आपदाओं के दौरान, डिजिटल रिकॉर्ड उचित और समय पर मुआवज़ा सुनिश्चित करते हैं।

डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP)

- इसे पहले राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के रूप में जाना जाता था, और 2016 में इसे केंद्र सरकार से पूर्ण वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया था।
- इसका मुख्य लक्ष्य एक एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित करके एक आधुनिक और पारदर्शी भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना है।

उपलब्धियाँ:

- लगभग 95% भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है।
- राष्ट्रीय स्तर पर भूकर मानचित्रों का डिजिटलीकरण 68.02% तक पहुँच चुका है।
- o 87% उप-पंजीयक कार्यालयों (SROs) को भूमि अभिलेखों के साथ एकीकृत किया जा चुका है।

DILRMP के अंतर्गत प्रमुख पहल

- विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (ULPIN): यह प्रत्येक भूमि पार्सल के लिए उसके भू-निर्देशांक के आधार पर 14 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (NGDRS): यह देश भर में दस्तावेज़ पंजीकरण के लिए एक समान प्रक्रिया प्रदान करता है, जिससे ऑनलाइन प्रविष्टि, भुगतान, नियुक्तियाँ और दस्तावेज़ खोज की सुविधा मिलती है।
- ई-कोर्ट एकीकरण: इसका उद्देश्य न्यायपालिका को प्रामाणिक भूमि जानकारी प्रदान करना, मामलों के त्वरित समाधान में सहायता करना और भूमि विवादों को कम करना है।
- भूमि अभिलेखों का लिप्यंतरण(Transliteration): भूमि अभिलेखों तक पहुँचने में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए, कार्यक्रम संविधान की अनुसूची VIII में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में से किसी में भी भूमि दस्तावेजों का लिप्यंतरण कर रहा है।

 भूमि सम्मान: 16 राज्यों के 168 जिलों ने भूमि अभिलेख कम्प्यूटरीकरण और मानचित्र डिजिटलीकरण सिहत कार्यक्रम के मुख्य घटकों के 99% से अधिक को पूरा करने के लिए "प्लेटिनम ग्रेडिंग" प्राप्त की है।

निष्कर्ष

 भारत भूमि प्रशासन में एक परिवर्तनकारी बदलाव देख रहा है, जो भूमि संबंधी जानकारी की पारदर्शिता और पहुँच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

• यह परिवर्तन हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें स्वामित्व के सुरिक्षत और सुलभ प्रमाण के साथ सशक्त बनाता है - जो आर्थिक विकास तथा स्थिरता के लिए एक आवश्यक कारक है।

 जैसे-जैसे भूमि रिकॉर्ड स्पष्ट और अधिक सुलभ होते जाते हैं, वे अधिक समावेशी तथा समतावादी समाज का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

Source: PIB

भारत की जनगणना 2025 में शुरू होगी

सन्दर्भ

 सरकार की योजना लंबे समय से विलंबित जनगणना को 2025 में शुरू करने की है, जिसके बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन किया जाएगा।

परिचय

- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को अपडेट करने के लिए सामान्यतः प्रत्येक दस वर्ष में आयोजित की जाने वाली जनगणना 2021 के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे स्थगित करना पड़ा।
- लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2026 के बाद पहली जनगणना के आधार पर किया जाना है।

भारत में जनगणना

- जनगणना किसी क्षेत्र की जनसंख्या का सर्वेक्षण है जिसमें आयु, लिंग और व्यवसाय सिहत देश की जनसांख्यिकी का विवरण एकत्र करना शामिल है।
- **इतिहास:** भारत के जनगणना आयुक्त डब्ल्यू.सी. प्लोडेन के अंतर्गत, पहली समकालिक दशकीय (प्रत्येक दस वर्ष में) जनगणना 1881 में आयोजित की गई थी।
 - स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी और तब से यह प्रत्येक दशक के पहले वर्ष में होती रही है।
- संविधान में यह अनिवार्य है कि गणना की जाए, लेकिन भारत की जनगणना अधिनियम 1948 में इसका समय या आविधकता निर्दिष्ट नहीं की गई है।
- जनसंख्या जनगणना गृह मंत्रालय के तहत भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा की जाती है।

जनगणना की आवश्यकता

 सटीक जनसंख्या डेटा: स्वास्थ्य सेवा से लेकर बुनियादी ढांचे तक विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य परियोजनाओं की योजना बनाने तथा प्रबंधन के लिए एक विश्वसनीय जनसंख्या गणना मौलिक है।

- सामाजिक-आर्थिक अंतर्दृष्टिः साक्षरता, आय, व्यवसाय एवं आवास की स्थिति पर जनगणना डेटा सामाजिक चुनौतियों को उजागर करता है और लक्षित हस्तक्षेपों की अनुमित देता है।
- विकास प्रगति का मूल्यांकन: दशकों से जनगणना डेटा की तुलना करने से पिछली नीतियों की प्रभावशीलता का आकलन करने और भविष्य की रणनीतियों का मार्गदर्शन करने में सहायता मिलती है।
- पर्यावरण नियोजन: जनगणना मानव बस्तियों और जनसांख्यिकीय दबावों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जो पर्यावरणीय स्थिरता प्रयासों का समर्थन करती है।

जनगणना के लाभ

- सूचित नीति निर्माण: जनगणना विस्तृत सामाजिक-आर्थिक डेटा प्रदान करती है, जिससे सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास, रोजगार और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर सूचित निर्णय लेने में सहायता मिलती है।
- संसाधन आवंटन: सटीक जनसंख्या डेटा राज्यों में संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित करता है, विशेष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण जैसे क्षेत्रों में।
- **चुनावी सुधार और परिसीमन:** जनगणना डेटा सीधे निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को प्रभावित करता है, जिससे संसद और राज्य विधानसभाओं में निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है।

आगे की राह

- कोविड के पश्चात् की रिकवरी के लिए अपडेटेड डेटा: पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, तब से जनसंख्या की गतिशीलता बदल गई है, जिससे आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं में बदलावों को संबोधित करने के लिए अपडेटेड डेटा आवश्यक हो गया है।
- पिरसीमन की आवश्यकताएँ: पिरसीमन प्रक्रिया 2026 के बाद निर्धारित है, इसलिए अपडेटेड जनसांख्यिकी के आधार पर निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सटीक, वर्तमान जनसंख्या डेटा होना महत्वपूर्ण है।

परिसीमन क्या है?

- परिसीमन से तात्पर्य प्रत्येक राज्य में लोकसभा और विधानसभाओं के लिए सीटों की संख्या एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ तय करने की प्रक्रिया से है।
 - इसमें इन सदनों में अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरिक्षत सीटों का निर्धारण भी शामिल है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 में प्रावधान है कि प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इसके विभाजन को पुनः समायोजित किया जाएगा।
- यह प्रक्रिया संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित 'परिसीमन आयोग' द्वारा की जाती है।

विगत परिसीमन

- 1951, 1961 और 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में सीटों की संख्या 494, 522 और 543 तय की गई थी।
- हालांकि, जनसंख्या नियंत्रण उपायों को प्रोत्साहित करने के लिए इसे 1971 की जनगणना के अनुसार स्थिर रखा गया है ताकि उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों में सीटों की संख्या अधिक न हो।
- यह 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से वर्ष 2000 तक किया गया था और 84वें संशोधन

अधिनियम द्वारा 2026 तक बढ़ा दिया गया था।

 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से समायोजित किया गया (सीटों की संख्या में बदलाव किए बिना) और SC और ST के लिए सीटें 2001 की जनगणना के अनुसार निर्धारित की गईं और 2026 के बाद फिर से लागू की जाएंगी।

Source: Mint

भारत में चुनाव व्यय

सन्दर्भ

- 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति और कांग्रेस चुनावों के लिए कुल व्यय लगभग 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹1,36,000 करोड़ के बराबर) होने का अनुमान है।
 - सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज (CMS) के अनुसार, इस वर्ष लोकसभा के आम चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कुल व्यय लगभग ₹1,00,000 करोड़ था।

भारत में चुनाव व्यय सीमा

- बड़े राज्यों में यह प्रति लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र ₹95 लाख और छोटे राज्यों में ₹75 लाख है।
- विधानसभाओं के संबंध में, वे क्रमशः बडे और छोटे राज्यों के लिए ₹40 लाख और ₹28 लाख हैं।
- ये सीमाएँ समय-समय पर चुनाव आयोग (EC) द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
- चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों के खर्च की कोई सीमा नहीं है।

वैश्विक मानक

- अमेरिका में, चुनावों के लिए वित्तपोषण मुख्य रूप से व्यक्तियों, निगमों और राजनीतिक कार्रवाई समितियों (PAC) के योगदान से होता है।
 - ऐसे सुपर PAC हैं जिन पर खर्च की कोई सीमा नहीं है।
- यू.के. में, एक राजनीतिक दल को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए £54,010 खर्च करने की अनुमित है, जहाँ वे चुनाव लड़ते हैं।
 - प्रचार अविध के दौरान उम्मीदवारों के खर्च पर भी सीमाएँ लगाई जाती हैं।

उच्च चुनावी व्यय से संबंधित चिंताएँ

- प्रतिनिधित्व में असमानता: धनी उम्मीदवार या पार्टियाँ चुनावों में प्रभुत्वशाली हो जाती हैं, कम संसाधनों वाले लोगों को हाशिए पर धकेल देती हैं और विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व की कमी की ओर ले जाती हैं।
- भ्रष्टाचार: यह उम्मीदवारों को भ्रष्ट आचरण में संलग्न होने के लिए प्रेरित कर सकता है, जैसे मतदाताओं को रिश्वत देना या चुनाव परिणामों में हेरफेर करना।
- प्रवेश अवरोध का निर्माण: बढ़े हुए व्यय जो मुख्य रूप से बड़े दान के माध्यम से पूरे किए जाते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधियों और पक्षपात करने वाले दाताओं के बीच एक अपवित्र गठजोड़ बनाते हैं।
 - यह कई अच्छे नागरिकों के लिए चुनावी राजनीति में प्रवेश अवरोध के रूप में कार्य करता है।

सुझाए गए सुधार

 इंद्रजीत गुप्ता सिमिति (1998) और विधि आयोग की रिपोर्ट (1999) ने चुनावों के लिए राज्य द्वारा वित्त पोषण का समर्थन किया है।

- इसका मतलब यह होगा कि सरकार मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नामित उम्मीदवारों के चुनाव खर्च का आंशिक रूप से वहन करेगी।
- बढ़ते चुनाव खर्च के मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया गया है।
 - यह चुनावों की आवृत्ति और उनसे जुड़ी लागतों को कम करने के उद्देश्य से लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के विचार को संदर्भित करता है।
- प्रस्तावित चुनावी सुधारों पर चुनाव आयोग की 2016 की रिपोर्ट के अनुसार सिफारिशें:
 - कानून में संशोधन करके स्पष्ट रूप से प्रावधान किया जाना चाहिए कि किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने उम्मीदवार को दी जाने वाली 'वित्तीय सहायता' भी उम्मीदवार की निर्धारित चुनाव खर्च सीमा के अंदर होनी चाहिए।
 - राजनीतिक दलों के खर्च की एक सीमा होनी चाहिए।
 - चुनाव संबंधी मामलों के त्विरत निपटान के लिए उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, जो इन मानदंडों के उल्लंघन के विरुद्ध निवारक के रूप में कार्य करेंगे।

Source: TH

मध्यस्थता कानून और सुलह अधिनियम में संशोधन के लिए प्रारूप विधेयक

सन्दर्भ

 भारत में मध्यस्थता कार्यवाही की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्रीय कानून मंत्रालय के कानूनी मामलों के विभाग ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक प्रारूप मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया है।

प्रारूप मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2024

- इसमें प्रारूप मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में कई महत्वपूर्ण संशोधनों का प्रस्ताव है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देना, न्यायालयी हस्तक्षेप को कम करना और मध्यस्थता कार्यवाही का समय पर समापन सुनिश्चित करना है।

मध्यस्थता

- यह वैकल्पिक विवाद समाधान का एक रूप है, जहाँ विवाद में शामिल पक्ष अपने विवाद को एक या अधिक मध्यस्थों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सहमत होते हैं।
- ये मध्यस्थ तटस्थ तृतीय पक्ष होते हैं जो साक्ष्य की समीक्षा करते हैं, तर्क सुनते हैं और फिर मामले पर बाध्यकारी निर्णय लेते हैं।
- यह प्रक्रिया न्यायालय के मुक़दमे की तुलना में कम औपचारिक होती है और प्रायः तेज़ एवं अधिक लचीली होती है। मध्यस्थता का उपयोग सामान्यतः वाणिज्यिक विवादों में किया जाता है तथा भारत में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 द्वारा शासित होता है।

सुलह

- यह एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है, जिसमें एक तटस्थ तीसरा पक्ष, जिसे मध्यस्थ के रूप में जाना जाता है, विवादित पक्षों को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समझौते तक पहुँचने में सहायता करता है।
- मध्यस्थता के विपरीत, मध्यस्थ के पास निर्णय अधिरोपित करने का अधिकार नहीं होता है। इसके बजाय, वे पक्षों के बीच संचार और बातचीत की सुविधा प्रदान करते हैं ताकि उन्हें अपने मतभेदों को सुलझाने में सहायता मिल सके।
- सुलह का उपयोग प्रायः श्रम विवादों और अन्य स्थितियों में किया जाता है जहाँ पक्षों के बीच संबंध

बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है।

प्रारूप विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- आपातकालीन मध्यस्थता: प्रारूप विधेयक में सबसे उल्लेखनीय प्रावधानों में से एक आपातकालीन मध्यस्थता की शुरूआत है।
 - यह मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन से पहले अंतिरम उपाय प्रदान करने के लिए एक आपातकालीन मध्यस्थ की नियुक्ति की अनुमित देता है।
 - यह भारतीय मध्यस्थता प्रथाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करते हुए, तत्काल स्थितियों में त्विरत राहत प्रदान करने की उम्मीद है।
- संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देना: प्रारूप विधेयक तदर्थ व्यवस्थाओं पर संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देने पर बल देता है।
 - स्थापित मध्यस्थता संस्थानों के उपयोग को प्रोत्साहित करके, विधेयक का उद्देश्य मध्यस्थता कार्यवाही की दक्षता और विश्वसनीयता को बढाना है।
- भारतीय मध्यस्थता परिषद (ACI): विधेयक में मध्यस्थता कार्यवाही के लिए प्रक्रिया के मॉडल नियम बनाने और मध्यस्थ संस्थानों को मान्यता देने के लिए भारतीय मध्यस्थता परिषद को सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।
 - इसका उद्देश्य प्रथाओं को मानकीकृत करना और भारत में मध्यस्थता की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना है।
- वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग: प्रौद्योगिकी में प्रगति और लचीलेपन की आवश्यकता को पहचानते हुए, प्रारूप विधेयक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्यस्थता कार्यवाही आयोजित करने के प्रावधान शामिल हैं।
 - 🔾 इससे मध्यस्थता को अधिक सुलभ बनाने और तार्किक चुनौतियों को कम करने की उम्मीद है।
- अपीलीय मध्यस्थ न्यायाधिकरणः मध्यस्थ पुरस्कारों के खिलाफ आवेदनों को संभालने के लिए, विधेयक में अपीलीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव है।
 - इसका उद्देश्य अपील प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और न्यायालयों पर भार कम करना है।
- सुलह प्रावधानों की चूक: प्रारूप विधेयक मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 से सुलह प्रावधानों को हटाने का प्रस्ताव करता है, क्योंकि इन्हें मध्यस्थता अधिनियम, 2023 में शामिल किया गया है।
 - इसके परिणामस्वरूप, संशोधित अधिनियम का नाम बदलकर मध्यस्थता अधिनियम, 1996 कर दिया जाएगा।
- विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें: प्रारूप विधेयक में पूर्व कानून सचिव और पूर्व लोकसभा महासचिव टी के विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें शामिल हैं।
 - इसने मध्यस्थता को अधिक प्रभावी बनाने और न्यायिक हस्तक्षेप पर कम निर्भर बनाने के लिए सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया।

प्रमुख मुद्दे और चिंताएँ

- कानूनी मान्यता: सभी क्षेत्राधिकार आपातकालीन मध्यस्थता की अवधारणा को मान्यता नहीं देते हैं।
 - आपातकालीन मध्यस्थों द्वारा जारी किए गए पुरस्कार या आदेश लागू करने योग्य हैं, यह सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण बाधा हो सकती है।
- संस्थागत समर्थन: प्रभावी आपातकालीन मध्यस्थता के लिए मध्यस्थता संस्थानों से मजबूत समर्थन की आवश्यकता होती है।
- इसमें स्पष्ट नियम, योग्य आपातकालीन मध्यस्थों की सूची और कुशल प्रशासनिक प्रक्रियाएँ शामिल हैं।

- समय की कमी: आपातकालीन मध्यस्थता को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, प्रायः कुछ दिनों के अंदर।
 - यह मध्यस्थ और शामिल पक्षों दोनों पर सबूतों को जल्दी से पेश करने और उन पर विचार करने का अत्यधिक दबाव डाल सकता है, जो प्रक्रिया की संपूर्णता से समझौता कर सकता है।
- लागतः आपातकालीन मध्यस्थता की त्वरित प्रकृति के कारण त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता और संभावित रूप से संसाधनों के अधिक गहन उपयोग के कारण उच्च लागत हो सकती है।
- जागरूकता और स्वीकृति: आपातकालीन मध्यस्थता प्रक्रिया से पक्ष अपरिचित या संशयी हो सकते हैं।
 - उपयोगकर्ताओं के बीच विश्वास और समझ का निर्माण इसके सफल कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है।
- अंतरिम उपाय: आपातकालीन मध्यस्थता की प्रभावशीलता अंतरिम उपायों को प्रदान करने और लागू करने की क्षमता पर निर्भर करती है।
 - यदि उपायों के लिए कई अधिकार क्षेत्रों में कार्रवाई की आवश्यकता होती है या स्थानीय न्यायालय सहायक नहीं होते हैं तो यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

मध्यस्थता परिदृश्य के लिए निहितार्थ

- प्रस्तावित संशोधनों से भारत में मध्यस्थता परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
 आपातकालीन मध्यस्थता की शुरुआत करके और संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देकर, विधेयक का उद्देश्य मध्यस्थता को विवाद समाधान का अधिक कुशल और विश्वसनीय तरीका बनाना है।
- तत्काल अंतरिम राहत के लिए एक तंत्र प्रदान करके, यह भारतीय मध्यस्थता प्रथाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करता है, जिससे संभावित रूप से भारतीय मध्यस्थता प्रणाली में विदेशी निवेशकों और पक्षों का विश्वास बढ़ सकता है।
- इससे भारतीय न्यायालयों में लंबित मामलों में कमी आ सकती है और देश में व्यापार करने में समग्र सुलभता बढ़ सकती है।

निष्कर्ष

- प्रारूप मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2024 भारत में मध्यस्थता ढांचे को आधुनिक बनाने और सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- आपातकालीन मध्यस्थता शुरू करने और संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देने के ज़िरए, सरकार का लक्ष्य मध्यस्थता को विवाद समाधान का एक अधिक कुशल तथा विश्वसनीय तरीका बनाना है।
- प्रमुख मुद्दों को संबोधित करके और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करके, सरकार का लक्ष्य मध्यस्थता को एक अधिक आकर्षक एवं कुशल विवाद समाधान तंत्र बनाना है।

Source: BS

ब्रिटेन में चरणबद्ध तरीके से बंद हो रहे कोयला बिजली संयंत्र

समाचार में


 ब्रिटेन के अंतिम कोयला आधारित उत्पादन संयंत्र, रैटक्लिफ-ऑन-सोअर को ग्रिड से हटा दिया गया, जो देश के ऊर्जा परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन सिद्ध हुआ।

ब्रिटेन में कोयला चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की सफलता

- यू.के. का कोयले के साथ एक लंबा इतिहास रहा है, इसका पहला कोयला संयंत्र 140 वर्ष पहले स्थापित किया गया था।
- बिजली उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी 1950 के दशक में लगभग 97% से घटकर हाल ही में 2% से भी कम हो गई है।
- 1990 के दशक से, यू.के. सरकार ने राजनीतिक कारणों से कोयला खदानों को बंद करने की नीतियों का पालन किया है, जिसका लक्ष्य 2024 तक सभी कोयला संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से बंद करना है।
- बाजार चालक: कोयला उत्पादन में गिरावट कार्बन उत्सर्जन लागत में वृद्धि और सख्त यूरोपीय संघ के नियमों के कारण हुई।
 - नए कोयला संयंत्रों के लिए कार्बन कैप्चर और भंडारण अनिवार्य कर दिया गया, जिससे कोयला कम लाभदायक हो गया।
- वैकल्पिक ऊर्जा: सस्ती गैस की उपलब्धता ने कोयले से दूर जाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यू.के. का बिजली उत्पादन चरम पर था और तब से इसमें गिरावट आई है, 2000 से 2023 तक कुल उत्पादन में 24% की गिरावट आई है।
 - यू.के. ने बिजली आयात में वृद्धि की, 2024 की शुरुआत में अपनी मांग का 20% पूरा किया, इस प्रकार घरेलू कोयले पर निर्भरता कम हुई।

भारत में स्थिति

- भारत विश्व में पांचवां सबसे बड़ा कोयला भंडार रखता है और दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता है।
- देश की तीव्र आर्थिक वृद्धि के कारण कोयले की खपत बढ़ रही है।
 - कुल कोयला आयात में 0.9% की वृद्धि हुई,
 जो पिछले वर्ष के 89.68 मीट्रिक टन की तुलना में 90.51 मिलियन टन (MT) तक पहुंच गया।
- भारत में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है, वर्तमान में कोयले से इसके ऊर्जा उत्पादन का 70% उत्पादन होता है।
 - स्टील, सीमेंट, उर्वरक और कागज जैसी प्रमुख सामग्रियों के उत्पादन के लिए कोयला आवश्यक है।



- भारत की पहली कोयला खदान 1774 में बनी थी और इसकी जनसँख्या ब्रिटेन से कहीं अधिक है।
- भारत तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक है, लेकिन इसका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन (2 टन) वैश्विक औसत (4.6 टन) और ब्रिटेन (5.5 टन) से काफी कम है।

चुनौतियां

• कोयला खपत के रुझान: भारत में 2030-35 के बीच कोयला उत्पादन और खपत चरम पर पहुंचने की उम्मीद है, जबिक यू.के. में यह दशकों पहले चरम पर था।

- कोयला क्षेत्र में रोजगार: भारत के कोयला क्षेत्र में बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं, कोयला उत्पादन जारी रहने के कारण इसमें वृद्धि की संभावना है, जबिक यू.के. में कोयला रोजगार में प्रभावी रूप से कमी आई है।
- भारत में सस्ती गैस की उपलब्धता नहीं है और उसे हाइड्रो और परमाणु ऊर्जा के विस्तार में चुनौतियों का सामना करना पड रहा है।
- भारत कोयला संयंत्रों के संचालन को सामान्य अनुबंधों से आगे बढ़ा रहा है और पर्यावरण नियमों को कम सख्त बना रहा है, जो यू के. के सख्त मानदंडों के दृष्टिकोण के विपरीत है।
- प्रदूषण नियंत्रण पर भारत का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, पहचान की गई कोयला क्षमता के 5% से भी कम में फ्लू-गैस डिसल्फराइज़र स्थापित किए गए हैं।

भारत के लिए सीख

- ब्रिटेन ने एक समग्र परिवर्तन योजना पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामुदायिक पुनर्विकास और पूर्व कोयला क्षेत्रों का समर्थन करने के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को एकीकृत करना शामिल है।
- भारत कोयला संयंत्रों को बंद करने, क्षेत्रीय पुनर्विकास कार्यक्रम विकसित करने और ऐतिहासिक रूप से कोयला-निर्भर क्षेत्रों में श्रमिकों को पुनः प्रशिक्षित करने के लिए स्पष्ट समयसीमा निर्धारित करके ब्रिटेन के अनुभव से सीख सकता है।

निष्कर्ष

- यू.के. ने कोयले को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन भारत की परिस्थितियों के कारण कोयले पर निर्भरता जारी रखना आवश्यक है, जिससे उसके ऊर्जा परिवर्तन के लिए अद्वितीय चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं।
 - यू.के. ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने में कुछ प्रगति की है, लेकिन वह अभी भी गैस पर निर्भर है।
- इसलिए भारत के ऊर्जा परिवर्तन के लिए एक पारदर्शी और दूरदर्शी दृष्टिकोण आवश्यक है, जो यह सुनिश्चित करता है कि यह समावेशी हो और कोयले पर निर्भर समुदायों की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं पर विचार करता हो।

Source :IE

संक्षिप्त समाचार

सोहराई चित्रकला/पेंटिंग

सन्दर्भ

 प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपित व्लादिमीर पुतिन को सोहराई पेंटिंग भेंट की।

परिचय

 सोहराई पेंटिंग झारखंड के हजारीबाग क्षेत्र के गांवों में प्रचलित एक लोक/आदिवासी चित्रकला परंपरा है।

- इस चित्र में प्रयोग किए गए रंग (लाल, काला, पीला और सफेद) प्राकृतिक मिट्टी के रंग हैं जिन्हें जंगल से एकत्रित किया जाता है या स्थानीय व्यापारियों से खरीदा जाता है।
 - चबाने वाली टहनियों का प्रयोग पेंट ब्रश के रूप में किया जाता है, जबिक बेस कोट लगाने के लिए कपड़े के टुकड़ों का उपयोग किया जाता है।
- विषय: ये पेंटिंग अपनी अभिव्यंजक कहानी कहने के लिए जानी जाती हैं, जिसमें जानवरों, पिक्षयों और प्रकृति को दर्शाया जाता है, जो आदिवासी संस्कृति में कृषि जीवन शैली और वन्यजीवों के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है।
- ये पेंटिंग एक मातृसत्तात्मक परंपरा को दर्शाती हैं जिसमें कला रूप को उनकी माताओं द्वारा बेटियों को विरासत के रूप में दिया जाता है।



Source: TOI सांभर झील समाचार में

राजस्थान की सांभर झील में 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो गई।

सांभर झील के बारे में

- स्थान: पूर्व-मध्य राजस्थान में जयपुर से लगभग 80 किमी दक्षिण-पश्चिम में और यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय झील है।
- संरचना: अरावली पर्वतमाला के अवसाद में निर्मित, इसका एक समृद्ध इतिहास है, इसकी नमक आपूर्ति का उपयोग मुगल वंश द्वारा किया जाता था और बाद में जयपुर तथा जोधपुर की रियासतों द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित किया जाता था।
- रामसर साइट: 1990 से अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- **नमक उत्पादन:** यह झील एक प्रमुख नमक उत्पादक है, जिसमें भारत की सबसे बड़ी नमक निर्माण इकाइयों में से एक है।
- जैव विविधता: इस क्षेत्र में शुष्क वनस्पित है और यह फ्लेमिंगो, पेलिकन तथा अन्य जलपिक्षयों का घर है।

Source: TH ट्राइटन द्वीप

सन्दर्भ

 हाल ही में उपग्रह से प्राप्त चित्रों से पता चला है कि चीन ने वियतनाम के विवादित पारासेल्स द्वीपसमूह के निकटतम भू-भाग, ट्राइटन द्वीप पर महत्वपूर्ण सैन्य निर्माण किया है।

ट्राइटन द्वीप

- अवस्थिति: ट्राइटन द्वीप दक्षिण चीन सागर में पैरासेल द्वीप श्रृंखला में सबसे दक्षिणी द्वीप है, जो चीन के अन्य भागों की तुलना में वियतनाम के करीब स्थित है।
- रणनीतिक महत्व: ट्राइटन द्वीप महत्वपूर्ण शिपिंग लेन, मत्स्य पालन और संभावित पानी के नीचे ऊर्जा भंडार के निकट होने के कारण रणनीतिक महत्व का है।
- विरोधाभासी दावे: ट्राइटन द्वीप सहित पैरासेल द्वीप पर चीन, वियतनाम और ताइवान का दावा है।
 - चीन नाइन-डैश लाइन के आधार पर अपना दावा करता है, जो दक्षिण चीन सागर के अधिकांश
 भाग को कवर करने वाले मानचित्रों पर एक सीमांकन है।



दक्षिण चीन सागर

- यह पश्चिमी प्रशांत महासागर का सीमांत सागर है।
- यह दक्षिणी चीन, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया के बीच स्थित है।
- यह प्रशांत और हिंद महासागरों के बीच शिपिंग के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री प्रवेश द्वार और जंक्शन है।

Source: ET

न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी एवं निजता का अधिकार

समाचार में

 निजताके अधिकार मामले' में याचिकाकर्ता न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी का निधन हो गया है, जिनके कारण उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी।

परिचय

- पुट्टस्वामी निर्णय (2017): भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।
 - इस ऐतिहासिक निर्णय ने निजता के अधिकारों का विस्तार किया, जिसमें कहा गया कि यह अधिकार मानव सम्मान और स्वायत्तता का अभिन्न अंग है। इसने डेटा संरक्षण, निगरानी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण दिया है।

न्यायमूर्ति पुट्टस्वामी आधार योजना को चुनौती देने वाले पहले वादियों में से एक होंगे।

 विश्व स्तर पर, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948) का अनुच्छेद 12 और नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (ICCPR, 1966) का अनुच्छेद 17 दोनों ही किसी व्यक्ति की निजता में "मनमाने हस्तक्षेप" के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं।

Source: TH

विधि का शासन सूचकांक

सन्दर्भ

हाल ही में विश्व न्याय परियोजना (WJP) द्वारा विधि का शासन सूचकांक प्रकाशित किया गया है।

परिचय

- इसने विभिन्न कारकों के आधार पर देशों का मूल्यांकन किया है, जिसमें सरकारी शक्तियों पर प्रतिबंध, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, खुली सरकार, मौलिक अधिकार, व्यवस्था और सुरक्षा, विनियामक प्रवर्तन, नागरिक न्याय तथा आपराधिक न्याय शामिल हैं।
- भारत 142 देशों में से 98वें स्थान पर है।
- शीर्ष रैंक: कानून और व्यवस्था के मामले में डेनमार्क ने पहला स्थान प्राप्त किया है, उसके बाद नॉर्वे,
 फिनलैंड, स्वीडन और जर्मनी का स्थान है।
- सबसे खराब रैंक: पाकिस्तान 142 देशों में 140वें स्थान पर है, जिससे यह विश्व का तीसरा सबसे खराब देश बन गया है।
 - माली और नाइजीरिया ही ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान से नीचे रैंक किए गए हैं।

विश्व न्याय परियोजना (WJP)

 यह एक स्वतंत्र, गैर-पक्षपाती, बहु-विषयक संगठन है जो ज्ञान सृजन, जागरूकता उत्पन्न करने और विश्व भर में कानून के शासन को आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य कर रहा है।

Source: AIR

प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना

सन्दर्भ

 हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना (PMVKY) के महत्व पर बल देते हुए कहा कि, 'हमारे आदिवासी समुदायों ने प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने और हमारे वनों के संरक्षण का मार्ग दिखाया है।'

प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना (PMVKY)

• परिचय:

- यह 28 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई एक ऐतिहासिक पहल है, जिसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों का समग्र विकास करना है।
- यह भारत की जनजातीय जनसँख्या के सामने आने वाली अद्वितीय चुनौतियों का समाधान करता है, जो देश की जनसँख्या का लगभग 8.9% है।
- इसका उद्देश्य व्यापक विकास रणनीतियों के माध्यम से जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाना है।

• मुख्य घटकः

- प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (PMAAGY): यह महत्वपूर्ण जनजातीय जनसँख्या वाले गांवों के एकीकृत विकास पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य सड़क और दूरसंचार संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा स्वच्छता जैसी बुनियादी सेवाओं एवं सुविधाओं में सुधार करना है।
- विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) का विकास: यह PVTGs के सामाजिक-आर्थिक विकास को लक्षित करता है जबिक उनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करता है। इसमें शिक्षा, आवास, आजीविका और स्वास्थ्य के लिए वित्तीय सहायता शामिल है।
- जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता: इसका उद्देश्य जनजातीय विकास के लिए अनुसंधान करने और नीतिगत इनपुट प्रदान करने के लिए जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की क्षमता को बढ़ाना है।
- प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तिः ये छात्रवृत्तियाँ आदिवासी छात्रों की शिक्षा का समर्थन करती हैं, यह सुनिश्चित करती हैं कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उच्च अध्ययन के अवसर प्राप्त हों।
- परियोजना प्रबंधन इकाइयों के लिए प्रशासनिक सहायता: PMVKY राज्य सरकारों के अंदर परियोजना प्रबंधन इकाइयों की स्थापना के लिए धन आवंटित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि STs के कल्याण से संबंधित योजनाओं की प्रभावी रूप से निगरानी और कार्यान्वयन किया जाए।

जनजातीय कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम

- एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय: इन्हें 50% से अधिक STs जनसँख्या और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों (जनगणना 2011 के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में कक्षा VI से XII तक STs छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है।
- प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (PMJVM): इसे दो वर्तमान योजनाओं को विलय और विस्तारित करके पुनर्गठित किया गया है: 'न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उपज के विपणन के लिए तंत्र' और 'आदिवासी उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन'।
- यह 'आदिवासियों द्वारा स्थानीय के लिए मुखर' की थीम का समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य स्थानीय संसाधनों के उपयोग के माध्यम से आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना है।
- भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ (TRIFED) इस पहल के लिए केंद्रीय कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

Source: PIB

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (LPAI)

सन्दर्भ

- केंद्रीय गृह मंत्री ने लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (LPAI) द्वारा निर्मित यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार का उद्घाटन किया।
 - o मैत्री द्वार (friendship gate) दोनों देशों द्वारा सहमत जीरो लाइन पर एक संयुक्त कार्गो गेट है।

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण(LPAI)

- भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है।
- प्राधिकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - एक अध्यक्ष, दो सदस्य, जिनमें से एक सदस्य (योजना और विकास) होगा और दूसरा सदस्य (वित्त) होगा।
 - नौ से अधिक सदस्य, पदेन, केंद्र सरकार द्वारा भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे के अधिकारियों में से नियुक्त किए जाएंगे।

प्राधिकरण के कार्य

- प्राधिकरण के पास भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर यात्रियों और माल की सीमा पार आवाजाही के लिए सुविधाओं को विकसित करने, उन्हें स्वच्छ बनाने और प्रबंधित करने की शक्तियाँ होंगी।
- सीमा पर एकीकृत चेक पोस्टों पर सुरक्षा संबंधी अनिवार्यताओं को संबोधित करने वाली प्रणालियाँ स्थापित करना।
- एकीकृत चेक पोस्ट पर राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और रेलवे के अतिरिक्त सड़कों, टर्मिनलों तथा सहायक भवनों की योजना बनाना, उनका निर्माण एवं रखरखाव करना आदि।

Source: IE

ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन : wмо

समाचार में

हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन जारी किया।

ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन के बारे में

- यह 2004 से प्रतिवर्ष प्रकाशित होता आ रहा है।
- यह 2023 के लिए वायुमंडल में दीर्घकालिक ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता पर WMO ग्लोबल एटमॉस्फियर वॉच (GAW) कार्यक्रम के अवलोकनों का नवीनतम विश्लेषण प्रस्तुत करता है।
- यह कार्बन डाइऑक्साइड (CO2), मीथेन (CH4) और नाइट्रस ऑक्साइड (N2O) के वैश्विक औसत सतह मोल अंशों की रिपोर्ट करता है।

मुख्य निष्कर्ष

- वैश्विक औसत CO2 420 ppm, मीथेन 1934 ppb और नाइट्रस ऑक्साइड 336.9 ppb पर पहुंच गया, जो पूर्व-औद्योगिक स्तरों (क्रमशः 151%, 265% और 125%) से काफी ऊपर है।
 - मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का स्तर बढ़ा, जिसमें मीथेन 16% वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है
 और N2O लगभग 6% योगदान देता है।

- वृद्धि के चालक: जीवाश्म ईंधन से उच्च CO2 उत्सर्जन, बड़ी वनस्पति आग और जंगलों द्वारा कम कार्बन अवशोषण के कारण यह वृद्धि हुई।
 - o अल नीनो घटना और बड़ी वनस्पति आग ने 2023 में ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि में योगदान दिया।
- **तापन प्रभाव:** ग्रीनहाउस गैसों से विकिरण बल 1990 से 2023 तक 51.5% बढ़ गया, जिसमें CO2 इस वृद्धि का 81% हिस्सा है।

सुझाव

- CO2 और अन्य गैसों में वृद्धि चिंताजनक प्रवृत्ति को उजागर करती है, जो संकेत देती है कि जलवायु
 परिवर्तन को कम करने के लिए वर्तमान प्रयास अपर्याप्त हैं।
- रिपोर्ट में पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने और बढ़ते ग्रीनहाउस गैस स्तरों को संबोधित करने के लिए कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया है।

Source: TH

कोरल ट्राएंगल (Coral Triangle)

सन्दर्भ

 विशेषज्ञों का सुझाव है कि कोरल ट्राएंगल को विशेष रूप से संवेदनशील समुद्री क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए ताकि इसे हानिकारक समुद्री गतिविधियों से विशेष सुरक्षा प्रदान की जा सके

परिचय

- कोरल ट्राएंगल, जिसे प्रायः 'समुद्रों का अमेज़ॅन' कहा जाता है, 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला एक विशाल समुद्री क्षेत्र है।
- इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, सिंगापुर, फिलीपींस, तिमोर-लेस्ते और सोलोमन द्वीप जैसे देश शामिल हैं।



- यह क्षेत्र विश्व की 76 प्रतिशत प्रवाल प्रजातियों का आवास है और 120 मिलियन से अधिक लोगों का भरण-पोषण करता है जो अपनी आजीविका के लिए इसके संसाधनों पर निर्भर हैं।
- कोरल ट्राएंगल में जीवाश्म ईंधन के विस्तार से उत्पन्न गंभीर खतरों को जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD) के 16वें सम्मेलन (COP16) में जारी एक रिपोर्ट द्वारा उजागर किया गया।
 - रिपोर्ट में तेल और गैस ब्लॉकों के साथ ओवरलैप पर प्रकाश डाला गया, जिससे 24 प्रतिशत
 प्रवाल भित्तियाँ, 22 प्रतिशत समुद्री घास वाले क्षेत्र और 37 प्रतिशत मैंग्रोव प्रभावित हुए।

विशेष रूप से संवेदनशील समुद्री क्षेत्र (PSSA)

- यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे मान्यता प्राप्त पारिस्थितिक या सामाजिक-आर्थिक या वैज्ञानिक कारणों से इसके महत्व के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) द्वारा कार्रवाई के माध्यम से विशेष संरक्षण की आवश्यकता है।
- यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय समुद्री गतिविधियों से होने वाली हानि के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।
- PSSA के उदाहरणों में ग्रेट बैरियर रीफ, गैलापागोस द्वीप समूह और वाडेन सागर शामिल हैं।

Source: DTE

मियावाकी वन(Miyawaki Forest)

सन्दर्भ

• उत्तराखंड के वन विभाग ने शून्य से नीचे के तापमान और वन्यजीवों के खतरे जैसी चरम स्थितियों को दरिकनार करते हुए पिथौरागढ़ में 8,000 फीट की ऊंचाई पर विश्व का सबसे ऊंचा मियावाकी वन बनाया है।

मियावाकी वन क्या है?

- जापानी वनस्पतिशास्त्री अकीरा मियावाकी के नाम पर, जिन्होंने 1970 के दशक में इस पद्धित को विकसित किया था, इसमें एक छोटे से क्षेत्र में घने शहरी जंगल बनाना शामिल है।
- इसमें हर वर्ग मीटर में दो से चार अलग-अलग प्रकार के देशी पेड़ लगाए जाते हैं। पेड़ तीन वर्ष के अंदर अपनी पूरी लंबाई तक बढ़ जाते हैं।
- देशी पेड़ों का घना हरा आवरण धूल के कणों को अवशोषित करने और सतह के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- उपयोग किए जाने वाले पौधे अधिकांशतः आत्मनिर्भर होते हैं और उन्हें खाद तथा पानी जैसी नियमित देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है।

प्रयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य पौधों में अंजन, अमला, बेल, अर्जुन और गुंज शामिल हैं।

Source: **TOI**